

हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 जनवरी, 2019 को यथाअनुमोदित)

राज्य में गायों के परिरक्षण, संरक्षण और उनके कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और इस प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण हेतु और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "आयोग" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यक्ष" से, आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) "गाय" के अन्तर्गत गाय के अतिरिक्त सांड, बैल, वृषभ, बछिया या बछड़ा भी है;
- (घ) "गोवंश" से गाय या उसकी संतति अभिप्रेत है;
- (ङ) "गोसंवर्धन" से, गाय की देशी नस्ल का संरक्षण और विकास अभिप्रेत है;
- (च) "गोसंरक्षण" से, गोवंश की सुरक्षा और संरक्षण अभिप्रेत है;
- (छ) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) "देशी नस्ल" से, देशी गायों की ऐसी संख्या अभिप्रेत है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नस्ल रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा समय-समय पर नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है;
- (झ) "संस्था" से, गायों के कल्याण में रत और गायों को रखने, उनका प्रजनन करने, उनका पालन करने और उनका पालन-पोषण करने के प्रयोजन के लिए या अशक्त, वृद्ध और बीमार गायों को रखने, उनकी सुरक्षा करने, उनकी देखभाल करने, उनका प्रबन्धन करने तथा उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई पूर्ण संस्था या गैर-सरकारी संगठन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत गोसदन, गोशाला, गो-विज्ञान केन्द्र, गो-शरणालय, सामुदायिक पशुपालन केन्द्र या ऐसी संस्थाएं, चाहे किसी भी नाम से विद्यमान हों, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अन्यथा गोरक्षा संस्थाएं और उनके परिसंघ, सोसाइटी या संघ भी सम्मिलित हैं;
- (ञ) "सदस्य" से, आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव भी हैं;

- (ट) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ड) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; और
- (ढ) "उपाध्यक्ष" से, आयोग का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. आयोग का गठन.—(1) सरकार, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग के नाम से ज्ञात निकाय का गठन करेगी।

(2) हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग के गठन के परिणामस्वरूप समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग में निहित हो जाएगी और गो-संवर्धन बोर्ड के सब ऋण और दायित्व आयोग को अन्तरित हो जाएंगे तथा उक्त बोर्ड के अधिकारी और सेवक आयोग के अधिकारी और सेवक होंगे।

(3) आयोग निम्नलिखित से गठित होगा—

(क) पदेन सदस्य :-

- | | |
|--|-------------|
| (i) पशुपालन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष; |
| (ii) सचिव (पशुपालन), हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य; |
| (iii) सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य; |
| (iv) सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य; |
| (v) सचिव (आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य; |
| (vi) सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य; |
| (vii) सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य; |
| (viii) सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार | सदस्य; |
| (ix) संकायाध्यक्ष, डॉ० जी०सी०नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा | सदस्य; |
| (x) पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश | सदस्य; और |
| (xi) निदेशक पशुपालन, हिमाचल प्रदेश | सदस्य सचिव। |

(ख) गैर-सरकारी सदस्यः—

सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दस से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष भी नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। आयोग के गैर-सरकारी सदस्य गो-संरक्षण और गो-संवर्धन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे।

4. गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें.—(1) आयोग के गैर-सरकारी सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

5. त्यागपत्र.—गैर-सरकारी सदस्य, सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

6. निरर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि,—

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है; या

(ग) वह विकृतचित्त है और सक्षम प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(घ) वह किसी अपराध, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित है, के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है; या

(ङ) उसे सरकार की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है; या

(च) वह न्यायनिर्णीत दिवालिया है।

7. आकस्मिक रिक्ति.—किसी गैर-सरकारी सदस्य की उसकी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने, त्याग-पत्र देने या हटाए जाने पर या अन्यथा रिक्ति की दशा में आकस्मिक रिक्ति हुई समझी जाएगी और ऐसी रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिए नामनिर्देशन द्वारा यथासंभव शीघ्र भरा जाएगा।

8. सदस्यों का वेतन, मानदेय और भत्ते.—उपाध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन, मानदेय और भत्ते आदि, यदि कोई हैं, ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

9. मुख्यालय.—आयोग का मुख्यालय शिमला में अवस्थित होगा।

10. आयोग की बैठकें.—(1) आयोग तीन मास में एक बैठक और एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगा और इनकी कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा।

(2) आयोग की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की ही अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक का चयन करेंगे।

(3) बैठक की गणपूर्ति कम से कम ग्यारह सदस्यों से होगी।

(4) बैठकों की कार्यवाहियां सचिव (पशुपालन) हिमाचल प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाएंगी।

(5) कोई पदेन सदस्य किसी विशिष्ट बैठक में उपस्थिति की अपनी असमर्थता की दशा में अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

11. रिक्तियों से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.—आयोग की कोई कार्रवाई या कार्यवाहियां प्रश्नगत नहीं होंगी या बैठक के लिए कोई नोटिस जारी करने सहित केवल इस आधार पर कि आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान है या इसके गठन में कोई त्रुटि है या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है या आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है, अविधिमान्य नहीं होंगी।

12. अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें.—आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

13. संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण और उनके लेखों की संपरीक्षा.—(1) आयोग की स्थापना हो जाने पर, समस्त संस्थाओं को, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आयोग के पास स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाना होगा।

(2) आयोग ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी करेगा।

(3) आयोग ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, इसके साथ रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

(4) जब कभी किसी संस्था द्वारा आयोग को प्रस्तुत किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो संस्था की ओर से कार्य करने को न्यस्त व्यक्ति आयोग को, अभिलेख को और अद्यतन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए रिपोर्ट करेगा।

(5) प्रत्येक संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार किए जाएंगे और इसके लेखे, जैसे विहित किए जाएं, प्रतिवर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे।

14. आयोग की शक्तियां और कृत्य.—आयोग निम्नलिखित कृत्यों में से समस्त या किन्हीं का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य में परित्यक्त गायों से संबंधित समस्याओं के हल के लिए गोसदनों, गोशालाओं, गो—विज्ञान केन्द्रों, गो—शरणालयों या सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुमोदित किसी अन्य स्कीम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना;

(ख) देशी गायों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और उसके लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में बजट प्रावधान करना;

(ग) गायों के कल्याण और प्रजनन संरक्षण पर जागरुकता कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना;

(घ) वध के लिए ले जाई जा रही या प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन में संभाव्य वध की जाने वाली गायों के अभिग्रहण और अभिरक्षा सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गायों को दिया जाने वाला संरक्षण सुनिश्चित करना;

(ङ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विधियों का उचित और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और संस्थाओं के विकास के लिए सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बाबत उपचारी उपाय प्रस्तावित करना;

- (च) गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नीतियां बनाना और परियोजनाओं की रूपरेखा बनाना तथा सरकार को कार्यान्वयन के लिए उनकी संस्तुति करना;
- (छ) गायों के कल्याण और गायों की देशी नस्ल के संरक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, बजट प्राप्त करना और उसका व्यय करना;
- (ज) संस्थाओं का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसी संस्थाएं उनके द्वारा अनुरक्षित गायों का उचित प्रबंधन और देखभाल करती हैं; और
- (झ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाएं।

15. आयोग के अनुदान और निधियां.—(1) राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से अनुदान, मन्दिर न्यासों से आय, शराब के विक्रय पर उद्गृहीत उपकर या ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने हेतु उपलब्ध करवाए, के रूप में आयोग को संदत्त कर सकेगी।

(2) आयोग ऐसी राशियां, जो यह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन में उचित समझे, खर्च कर सकेगा और ऐसी धन राशियों को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय समझा जाएगा।

16. आयोग का बजट.—(1) आयोग ऐसी तारीख, जो विहित की जाए, को प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करेगा और उसे अनुमोदित करेगा।

(2) जब आयोग द्वारा बजट अनुमोदित कर दिया जाए, तो यह निधियों में से उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए प्रावधान किया गया है, रकमों का विनियोजन करने के लिए सक्षम होगा। पुनर्विनियोजन, यदि कोई है, आयोग के अनुमोदन के अधीन होगा।

17. आयोग के बैंककार.—आयोग की समस्त निधियां किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के अधिसूचित बैंक में रखी जाएंगी।

18. आयोग की अभिलेख मांगने की शक्ति.—इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए आयोग को समर्थ बनाने के आशय से, आयोग किसी भी संस्था से सूचना, अभिलेख या रिपोर्ट मांग सकेगा।

19. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) आयोग पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) सरकार, धारा 18 के अधीन की गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जैसी वह उचित समझे।

20. सरकार की रिपोर्टें और विवरणियां आदि को मांगने की शक्तियां.—सरकार आयोग से, समय-समय पर, ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और कथन मांग सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

21. सरकार से निदेश.—(1) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा, जैसे सरकार द्वारा दिए जाएं।

(2) यदि सरकार और आयोग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं है, तो उस पर सरकार का विनिश्चय ही अंतिम होगा।

22. आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.—आयोग के समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे

हैं, या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, (1860 का 45) (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45) की धारा 21 के अर्थात्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या किसी व्यक्ति, जो या तो सरकार या आयोग के निदेशाधीन कार्य कर रहा हो, के विरुद्ध नहीं होगी।

24. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखे जाएंगे, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या यथापूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों से बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, विधान सभा उस नियम में कोई उपान्तरण करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात् ऐसे नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उन का कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, नियमों के ऐसे उपान्तरण या बातिलिकरण से, पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE HIMACHAL PRADESH GAUVANSH SANRAKSHAN AND SAMVARDHAN
ACT, 2018**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Constitution of the Aayog.
4. Terms and conditions of appointment of non-official members.
5. Resignation.
6. Disqualifications.
7. Casual vacancy.
8. Salary, honorarium and allowances of the members.
9. Headquarter.
10. Meetings of the Aayog.
11. Vacancies not to invalidate proceedings of the Aayog.
12. Terms and conditions of service of officers and employees.
13. Registration of institutions and audit of their accounts.

14. Powers and functions of the Aayog.
15. Grants and funds of the Aayog.
16. Budget of the Aayog.
17. Bankers of the Aayog.
18. Power of the Aayog to call for records.
19. Annual Report.
20. Powers of the Government to call for reports and returns etc.
21. Directions from the Government.
22. Members, officers and employees of the Aayog to be public servant.
23. Protection of action taken in good faith.
24. Power to make rules.

Act No. 2 of 2019

**THE HIMACHAL PRADESH GAUVANSH SANRAKSHAN AND SAMVARDHAN
ACT, 2018**

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 24TH JANUARY, 2019)

AN

ACT

to establish the Himachal Pradesh Gauseva Aayog for the preservation, conservation and welfare of cows in the State; and for supervision and control of the institutions established for the purpose and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Gauvansh Sanrakshan and Samvardhan Act, 2018.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Aayog” means the Himachal Pradesh Gauseva Aayog constituted under section 3 of this Act;
- (b) “Chairperson” means Chairperson of the Aayog;
- (c) “Cow ” includes a bull, bullock, ox, heifer or calf besides the cow itself;
- (d) “Gauvansh” means cow or its progeny;

- (e) “Gausamvardhan” means conservation and development of indigenous breeds of cow;
- (f) “Gausanrakshan” means protection and conservation of Gauvansh;
- (g) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (h) “Indigenous breed” means the indigenous cow population which is recognized as a breed by Breed Registration Committee of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, from time to time;
- (i) “Institution” means any charitable institution or Non-Government Organization engaged in the welfare of cows and established for the purpose of keeping, breeding, rearing and maintaining cow or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cows and includes Gausadan, Gaushala, Gauvigyan Kendra, Cow Sanctuary, Community Animal Rearing Center, or by whatever name such institutions exist including Gauraksha sanstha and their federation, society or union registered under any enactment for the time being in force or otherwise;
- (j) “member” means a member of the Aayog and includes the Chairperson, Vice-Chairperson and the Member Secretary;
- (k) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (l) “section” means a section of this Act;
- (m) “State” means the State of Himachal Pradesh; and
- (n) “Vice-Chairperson” means a Vice-Chairperson of the Aayog.

3. Constitution of the Aayog.—(1) The Government shall, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh constitute a body to be known as the Himachal Pradesh Gauseva Aayog.

(2) Consequent upon the constitution of the Himachal Pradesh Gauseva Aayog, all properties, movable or immovable shall vest with the Himachal Pradesh Gauseva Aayog and all the debts and liabilities of the Himachal Pradesh Gosamvardhan Board shall be transferred to the Aayog and the officers and servants of the said Board shall be the officers and servants of the Aayog.

(3) The Aayog shall consist of,—

a. Ex-officio members:—

- | | |
|--|---------------------|
| (i) Animal Husbandry Minister,
Himachal Pradesh | <i>Chairperson;</i> |
| (ii) Secretary (Animal Husbandry),
Government of Himachal Pradesh | <i>Member;</i> |
| (iii) Secretary (Finance), Government of
Himachal Pradesh | <i>Member;</i> |

(iv)	Secretary (Language, Art and Culture), Government of Himachal Pradesh	<i>Member;</i>
(v)	Secretary (Excise and Taxation), Government of Himachal Pradesh	<i>Member;</i>
(vi)	Secretary (Revenue), Government of Himachal Pradesh	<i>Member;</i>
(vii)	Secretary (Rural Development and Panchayati Raj), Government of Himachal Pradesh	<i>Member;</i>
(viii)	Secretary (Forests), Government of Himachal Pradesh	<i>Member;</i>
(ix)	Dean, Dr. G. C. Negi College of Veterinary and Animal Sciences, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishva- vidyalya, Palampur, District Kangra	<i>Member;</i>
(x)	The Director General of Police, Himachal Pradesh	<i>Member; and</i>
(xi)	The Director, Animal Husbandry, Himachal Pradesh	<i>Member Secretary.</i>

b. Non-official members:—

There shall be not more than ten non-official members to be nominated by the Government. One Vice-Chairperson shall also be nominated in addition thereto. The non-official members of the Aayog shall be appointed from amongst the persons having interest in the field of Gausanrakshan and Gausamvardhan.

4. Terms and conditions of appointment of non-official members.—(1) A non-official member of the Aayog shall hold office for a period of three years from the date of his appointment.

(2) The terms and conditions of service of non-official members shall be such, as may be prescribed.

5. Resignation.—A non-official member may, by way of notice in writing under his hand addressed to the Government of Himachal Pradesh, resign from his office.

6. Disqualifications.—No person shall be eligible for appointment as a non-official member, if he,—

- (a) is not a citizen of India; or
- (b) has not attained the age of 21 years; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent authority; or
- (d) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

- (e) has been dismissed from the service of the Government for misconduct and has been declared to be disqualified for employment in public service; or
- (f) is adjudged insolvent.

7. Casual vacancy.—In the event of vacancy of a non-official member due to death, resignation, removal or otherwise before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred and such vacancy shall be filled as early as possible by nomination for the remaining term.

8. Salary, honorarium and allowances of the members.—The salary, honorarium, and allowances etc. if any, payable to the Vice-Chairperson and members shall be such as may be prescribed.

9. Headquarter.—The headquarter of the Aayog shall be at Shimla.

10. Meetings of the Aayog.—(1) The Aayog shall hold one meeting quarterly and at least four meetings annually and shall keep a record of its proceedings.

(2) The meeting of the Aayog shall be convened and presided over by the Chairperson and in his absence thereof, the Vice-Chairperson shall preside over the meeting. In the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the members present shall elect one from amongst them to preside over the meeting.

(3) The quorum of the meeting shall be of a minimum of eleven members.

(4) The proceedings of the meetings shall be forwarded to the Secretary (Animal Husbandry) to the Government of Himachal Pradesh, for necessary action.

(5) An ex-officio member may depute his representative to attend meeting on his behalf in the event of his inability to attend a particular meeting.

11. Vacancies not to invalidate proceedings of the Aayog.—No act or proceedings of the Aayog shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Aayog or any defect in the appointment of a person acting as a member or any irregularity in the procedure of the Aayog, including issuance of notice for holding of a meeting, not affecting merits of the matter.

12. Terms and conditions of service of officers and employees.—Terms and conditions of service of officers and employees of the Aayog and salaries and allowances payable to them, shall be such as may be prescribed.

13. Registration of institutions and audit of their accounts.—(1) Once the Aayog is established, all institutions shall have to get them registered with Aayog on the payment of such fee and in the manner as may be prescribed.

(2) The Aayog shall, issue a certificate of registration in such form, as may be prescribed.

(3) The Aayog shall maintain register of institutions registered with it in such form, as may be prescribed.

(4) Whenever any change occurs in any of the particulars submitted to the Aayog by an institution, the person entrusted to act on behalf of institution shall report the change to the Aayog, for further updation of record.

(5) The accounts of every institution, which has been registered under this Act, shall be prepared in each financial year and its accounts shall be audited annually as may be prescribed.

14. Powers and functions of the Aayog.—The Aayog shall perform all or any of the following functions, namely:—

- (a) to make provisions for solutions to the problems related to abandoned cow in the State by providing technical and financial assistance to Gausadans, Gaushalas, Gauvigyan Kendras, Cow Sanctuaries or any other scheme approved by the Government in the manner as may be prescribed;
- (b) to promote research on various aspects of indigenous cows and make budgetary provisions for the same in the manner as may be prescribed;
- (c) to make provisions for awareness programs on cow welfare and breed conservation;
- (d) to ensure the protection afforded to cow under any law for the time being in force including seizure and custody of the cow being carried for slaughtering or likely to be slaughtered in contravention of any law in force;
- (e) to ensure proper and timely implementation of the laws referred to in clause (a) and to propose remedial measures regarding the implementation of programs of Government for the development of institutions;
- (f) to draft policies and design projects for the conservation and promotion of cow and make recommendations thereof to the Government for implementation;
- (g) to receive budget and make expenditure for the purpose of cow welfare and conservation of indigenous breeds of cow, in the manner as may be prescribed;
- (h) to supervise and inspect the institutions and to ensure that such institutions provide for proper management and care to cows conserved by them; and
- (i) to perform such other functions as may be assigned by the Government.

15. Grants and funds of the Aayog.—(1) The State Government may pay to the Aayog by way of grants from the Consolidated Fund of the State, income from the Temple trusts, cess levied on sale of liquor or such sums of money as the State Government may provide to be utilized for the purpose of this Act.

(2) The Aayog may spend such sums as it deems fit for performing the functions under this Act, and such sums of money shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

16. Budget of the Aayog.—(1) The Aayog shall on such date, as may be prescribed, prepare and approve the budget of the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure.

(2) When the budget is approved by the Aayog, it shall be competent to appropriate the amounts out of the funds for the purpose for which provisions have been made. Re-appropriation, if any shall be subject to the approval of the Aayog.

17. Bankers of the Aayog.—All funds of the Aayog shall be kept in a Scheduled Bank.

18. Power of the Aayog to call for records.—In order to enable the Aayog to perform the functions under this Act, the Aayog may call for information, records or reports from any institution.

19. Annual Report.—(1) The Aayog shall prepare, in such form for each financial year as may be prescribed, its annual report, giving full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

(2) Upon receipt of a report made under section 18, the Government may take such action thereon, as it may consider appropriate.

20. Power of the Government to call for reports and returns etc.—The Government may call for such reports, returns and statements from the Aayog from time to time, as it may consider necessary.

21. Directions from the Government.—(1) In the discharge of its functions under this Act, the Aayog shall be guided by such directions on the question of policy as may be given by the Government.

(2) If any dispute arises between the Government and the Aayog as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the Government shall be final.

22. Members, officers and employees of the Aayog to be public servant.—All members, officers and employees of the Aayog shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any provision of this Act, to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860, (45 of 1860).

23. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member or any officer or other employees of the Aayog or any person acting under the direction either of the Government or of the Aayog, in respect of anything, which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

24. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All the rules made under this Act, shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the Legislative Assembly while it is in session, for a period of not less than ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the successive sessions immediately following, the Legislative Assembly makes any modification(s) in any of such rules or decides that the rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 31 जनवरी, 2019

संख्या: एल0एल0आर0—डी0(6)—20/2018—लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30-01-2019 को अनुमोदित हिमाचल